

मैनुअल-7

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण।

विभाग में कार्याधीन योजनाओं एवं विभाग द्वारा सम्पादित कार्य की समीक्षा करने/सुचारु रूप से कार्यों के सम्पादन हेतु विभागीय प्रशासन एवं उसके ढाँचे में सुधार के लिए सुझाव देने/कार्य की प्रगति को तीव्र करने एवं प्रशासन में मितव्ययिता लाने के निमित्त विभाग द्वारा अपनायी गयी सामान्य नीति और कार्यक्रम पर परामर्श देने/भविष्य में विकास कार्य के लिए योजना तैयार करने हेतु संसदीय कार्य विभाग, बिहार के ज्ञांपाक सं०-सं०-का० (पी० ए०-1039/77-700 दि० 11.10.85) द्वारा प्रत्येक विभाग को परामर्शदातृ समिति गठित करने का निदेश है।

वर्तमान में सतरहवीं विधानसभा का गठन हो चुका है। संसदीय कार्य विभाग द्वारा नयी परामर्शदातृ समिति के गठन सम्बन्धी आदेश निर्गत होने के पश्चात् माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग की अध्यक्षता में नयी परामर्शदातृ समिति का गठन कर दिया जायेगा।